



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2016/माघ 15, 1937

No. 317]

NEW DELHI, THURSDAY FEBRUARY 4, 2016/MAGHA 15, 1937

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2016

**का.आ. 365(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ. 2340(अ), तारीख 24 अगस्त, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 25 अगस्त, 2015 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

अधिसूचना की अनुसूची में, "ग्राम 'डाड़ी' में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या में प्लॉट संख्या '816' की प्रविष्टि के पहले, प्लॉट संख्या '815' अंतःस्थापित किया जाएगा।"

[फा. सं. 43015/9/2015-पीआरआईडब्ल्यू-1]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2016

**S.O. 365(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 2340(E), dated the 24th August, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th August, 2015 namely:-

In the Schedule to the notification, in the entry "Intention of plots numbers to be acquired in village 'Dari', before plot number '816', plot number '815' shall be inserted".

[F. No. 43015/9/2015-PRIW-I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.

574 GI/2016